उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) वाद सं0 03/2018–19

चण्डी चरण सरकार..आवेदक।

बनाम

सरकार...विपक्षी

आदेश

11.01.2022

यह रे0मि0 पिटिसन (जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति रद्ध) वाद माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, रॉची के W.P.(C) No. 3177/2016 में पारित आदेश दिनांक–28.08.2018 के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका से उनके पत्रांक–702/जि0आ0 दिनांक– 13.06.2019, पत्रांक–1367/जि0आ0दिनांक–13.12.2021पत्रांक–1228/जि0आ0 दिनांक–28.10.2021 एवं अंचल अधिकारी, रानेश्वर के पत्रांक –22/रा0 दिनांक–10.01.2022 द्वारा आमसभा की मूल प्रति एवं विडियोग्राफी की सी0डी0 प्राप्त है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया।

अभिलेख में उपल्ब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के जनवितरण अनुज्ञप्ति सं0–59/91 ग्राम पंचायत–सुखजोरा, प्रखंड–रानेश्वर को खाद्याय वितरण में किये गये अनियमिता के कारण निलंबित किया गया एवं उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। आवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका की आदेश सं0–129/08, ज्ञापांक–1029, दिनांक–22.07.2008 के द्वारा आवेदक की दुकान को तत्काल प्रभाव से रद्ध कर दिया गया।इसके विरूद्ध आवेदक द्वारा उपायुक्त, दुमका के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0–57/2008–09 दायर किया गया। इस वाद को दिनांक–19.08.2009 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

इस आदेश के विरूद्ध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में W.P.(C) NO 6298/2009 अपील दायर किया गया। इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक–10.08.2009 को रद्ध करते हुए इस निदेश के साथ पुर्नविचार प्रति प्रेषित किया गया कि :–

> *Accordingly, order dated 19.08.2009 is set aside. The matter is remitted back to the Deputy Commissioner to consider the matter afresh. The counsel appearing for the respondent-State of Jharkhand is not able to disclose whether to another person or not. If the license for the said PDS shop has been been awarded to to another person, the person, the Deputy Commissioner shall afford opportunity of hearing to the said person also.*

इस आदेश के आलोक में सुनवाई करने के पश्चात् पुनः उपायुक्त द्वारा आवेदक के दावों को दिनांक– 19.01.2016 के आदेशानुसार अस्वीकृत किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में पुनः आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, रॉची में W.P.(C) 3177/2016 दायर किया। इस वाद में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्ध करते हुए पुनः पुर्नविचार हेतु इस निदेश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि :–

Appellant Authority has not decided the case of the petitioner as directed by this court in the earlier round of litigation i,e, W.P(C) No 6298 of 2009

इस आदेश के आलोक में पुनः कार्रवाई आरंभ करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला आपूर्ति से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि उक्त विक्रेता के स्थान पर कोई अन्य जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं किया गया है। वर्त्तमान में उक्त पंचायत में कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेता की संख्या 4(चार) है एवं 01(एक) रिक्त है। सभी नजदीकी लाभुकों को पूर्व जन

h

वितरण प्रणाली विक्रेता आवेदक के पास खाद्यान्न उठाव करना चाहते है, जिसमें लाभुकों का हस्ताक्षर की प्रति भी संलग्न है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा निलबंन वर्ष 2008 की भंडार पंजी, एवं प्रत्येक माह वितरण की स्थिति वितरण पंजी के आधार पर सही एंव संतोषजनक पाया गया है। वितरण पंजी की रख रखाव भी सही पाया गया है।

पुनः दिनांक–21.12.2021 के आदेश के आलोक में मांग की गई प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, रानेश्वर के पत्रांक–22/रा0 दिनांक–10.01.2022 द्वारा प्राप्त है जिसमें योजना पदाधिकारी –सह– वरीय पदाधिकारी रानेश्वर एवं अंचल अधिकारी रानेश्वर की उपस्थिति में आमसभा का आयोजन कराया गया एवं विडियोग्राफी भी कराया गया है।

आदेश

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि आवेदक से आवेदन प्राप्त कर नया जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाय। उनके विरूद्ध शिकायत के आलोक में पूर्व में जमा की गई जमानत की राशि जप्त की जाती है।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

64 Dt 14/3/22

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:21:01 +05:30
Location: 169.254.227.244